Date - 07/07/2020

Dr. Sanehlata
Asst. Professor (Guest faculty)
Dept. of Philosophy
Women's College, Samastipur
Email Id. - Snehababli 1987 @ gmail.com
Cont. no. - 8409587640

Class - B.A. - II (Hons.)

Topic - Symbolic logic: Judgment method.

Scanned with CamScanner

निर्णय विधि या निर्णय प्रक्रिया

तर्कशास्त्र में तर्कों और तर्कों के आकारों की वैधता की जाँच की बहुत-सी विधियाँ हैं। ये विधियाँ निर्णय विधियाँ या निर्णय प्रक्रिया कहलाती हैं। इनकी सहायता से यह निर्णय लिया जाता है कि कोई तर्क वैध है अथवा अवैध तथा कोई तर्कवाक्य पुनरुक्ति है या नहीं।

तर्कदोष

सामान्य अर्थ में किसी युक्ति की वैधता के निर्धारण में निहित तर्क प्रक्रिया में निहित दोषों को तर्कदोष कहा जाता है। कभी-कभी असत्य आधार-वाक्य के बल पर निष्कर्ष को प्रमाणित करने वाली अनौपचारिक युक्तियों को भी दोषपूर्ण मान लिया जाता है, क्योंकि असत्य तर्कवाक्य वस्तुतः कोई प्रमाण प्रस्तुत नहीं करते और उनके द्वारा कुछ भी सिद्ध नहीं किया

Scanned with CamScanner

जा सकता। सामान्यतः किसी युक्ति के सम्बन्ध में तर्कदोष तब उत्पन्न होता है, जब उसके आधार वाक्यों और निष्कर्ष के बीच आपादन का सम्बन्ध नहीं होता।

कभी-कभी आपादान का सम्बन्ध उपस्थित होते हुए भी किसी अन्य कारण से निष्कर्ष प्रमाणित नहीं हो पाता है और सम्पूर्ण तार्किक प्रक्रिया निष्फल हो जाती है। इस स्थिति को ही तर्कदोष की संज्ञा दी जाती है।

तर्कशास्त्र में तर्कदोष को सामान्यतः दो वर्गों में विभाजित किया गया है।

औपचारिक तर्कदोष

तर्कशास्त्र में प्रतिपादित वैधता के नियमों के उल्लंघन से जो दोष उत्पन्न होता है, उसे औपचारिक तर्कदोष कहा जाता है। इसके अन्तर्गत युक्तियों के आधार-वाक्य उनके निष्कर्ष को निगमित करने में असमर्थ होते हैं, क्योंकि उनके बीच आपादान का सम्बन्ध स्थापित नहीं होता है। औपचारिक दोषों के निम्नलिखित प्रकार हैं

* चतुष्पद तर्कदोष जब युक्ति में तीन से अधिक पद हों और वैधता के लिए स्वीकृत 6 नियमों में से प्रथम का उल्लंघन हो, तब चतुष्पद तर्कदोष होता है।
* अव्याप्त मध्यम पद तर्कदोष जब किसी युक्ति के दोनों आधार वाक्यों में से किसी में भी मध्यम पद की व्याप्ति नहीं होती है अर्थात् वैधता के द्वितीय नियम का उल्लंघन होता है तो वहाँ अव्याप्त मध्यम पद तर्कदोष होता है।
* अनियमित गुरुत्व पद तर्कदोष जब किसी युक्ति में गुरुत्व पद निष्कर्ष में व्याप्त होता है, किन्तु मुख्य आधार-वाक्य में इसकी व्याप्ति नहीं होती अर्थात् वैधता के तृतीय नियम का उल्लंघन होता है, तो वहाँ अनियमित गुरुत्व पद तर्कदोष होता है।

Scanned with CamScanner

* अनियमित अमुख्य पद तर्कदोष जब किसी युक्ति में अमुख्य पद निष्कर्ष में व्याप्त होता है, किन्तु अमुख्य आधार-वाक्य में इसकी व्याप्ति नहीं होती, तो वहाँ अनियमित अमुख्य पद तर्कदोष होता है। इसमें भी वैधता के तृतीय नियम का उल्लंघन होता है।

* अपवर्जक आधार-वाक्य तर्कदोष जब किसी युक्ति के दोनों आधार-वाक्य निषेधात्मक होते हैं, तो वहाँ अपवर्जक आधार-वाक्य तर्कदोष होता है। इसमें वैधता के नियम चार का उल्लंघन होता है।

* निषेधात्मक आधार-वाक्य से विध्यात्मक निष्कर्ष निकालने का तर्कदोष वैधता के नियमों में, नियम पाँच के उल्लंघन होने अर्थात् आधार-वाक्यों में से यदि कोई निषेधात्मक हो और उससे विध्यात्मक निष्कर्ष की प्राप्ति हो रही हो, तो वहाँ यह तर्कदोष उत्पन्न होता है।

* सत्तात्मक तर्कदोष जब किसी युक्ति में दोनों सर्वव्यापी आधार-वाक्यों से अंशव्यापी निष्कर्ष की प्राप्ति होती है अर्थात् नियम 6 का उल्लंघन होता है, तब वहाँ सत्तात्मक तर्कदोष होता है।

* फलविधान तर्कदोष जब किसी युक्ति के पूर्ववत् अनुमान के आकार में आधार-वाक्य के अन्तर्गत फल को स्वीकार करके निष्कर्ष में हेतु को प्रमाणित किया जाता है, तो वहाँ 'फलविधान तर्कदोष' होता है।

* हेतुनिषेध तर्कदोष जब किसी युक्ति के विशेषतः अनुमान के आकार में आधार-वाक्य ~~के अंतर्गत~~ फल को स्वीकार करके निष्कर्ष में हेतु ~~को~~ का निषेध और निष्कर्ष में फल का निषेध होता है, तो वहाँ हेतु निषेध तर्कदोष होता है।

* विकल्प विधान तर्कदोष जब किसी युक्ति में प्रथम विकल्पावयव की स्वीकृति आधार-वाक्यों में की जाए और उसके बाद पर निष्कर्ष में द्वितीय विकल्पावयव के निषेध को प्रमाणित माना जाए; तो वहाँ 'विकल्प विधान तर्कदोष' होता है।

Date 12-05-20..